

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 605 / 2022

दिनांक : 17.02.2022

श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ0917), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, कामां (भरतपुर) को दिनांक 07.03.2022 से 16.03.2022 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 06.03.2022 एवं 17.03.2022 से 18.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां (भरतपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, कामां (भरतपुर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

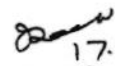
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 17.02.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/88/2015/1150

दिनांक 17.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 993 दिनांक 07.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ0917), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, कामां (भरतपुर)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, कामां (भरतपुर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामां (भरतपुर)।


17.2.2022
सहायक रजिस्ट्रार